

महावीर मन्दिर, पटना

महावीर-मन्दिर-न्यासः



महावीर मन्दिर न्यास का उद्देश्य है-

सर्वभूतहिते रतः

यानी सभी प्राणियों के कल्याण में निमग्न रहना।

श्री महावीर स्थान न्यास-समिति

महावीर मन्दिर, पटना-1

www.mahavirmandirpatna.org

महावीर वात्सल्य अस्पताल
सदाकत आश्रम से पूरब,
एल.सी.टी. घाट, मैनपुरा, पटना।



श्री महावीर स्थान न्यास-समिति

महावीर मन्दिर, पटना

(विस्तृत नियमावली, एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदे ।)

विषय-सूची

- (1) बिहार राज्य ार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा बिहार हिन्दु ार्मिक न्यास अिनियम की ारा 32 के तहत निरूपित विस्तृत योजना।
- (2) कम्प्रोमाइज पेटिसन।
- (3) बिहार ार्मिक न्यास पर्षद् एवं श्री महावीर स्थान न्यास-समिति के बीच 1956 का अनुबन् । तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा इसकी स्वीकृति।
- (4) डि ी।
- (5) दिनांक- 16.11.1999 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदे ।।



जिला गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

साधारण अंक संख्या- 37 पटना, शुक्रवार दिनांक 16 मार्च 1990 ई०

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

विद्यापति मार्ग, पटना- 1

अधिसूचना

चूँकि मिस० अपील नं० 428/1956 में पटना उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि वर्ष 1938 में जन समुदाय ने महावीर मन्दिर के लिए एक न्यास समिति का गठन किया था और उस न्यास समिति एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के बीच मिस० अपील नं० 428/1956 में एक समझौता हुआ था, जिसपर पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.01.1958 को इस समाधान का अनुमोदन किया था और बिहार राज्य धार्मिक न्यास-पर्षद् ने श्री महावीर स्थान पटना जं. पटना की सुव्यवस्था एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए ज्ञापांक 20-10-1987 द्वारा नई न्यास-समिति का गठन किया था और न्यास-समिति का स्वरूप युगधर्म के अनुसार व्यापक बनाना आवश्यक प्रतीत होता है तथा उक्त न्यास-समिति की बेहतर व्यवस्था एवं सुन्दरतर प्रबंधन के लिए एक विस्तृत योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है, अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 (1,1951) की धारा 81 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 32 के प्रावधानों के अधीन पूर्ण विवेचन के अनन्तर एक हरिजन एवं एक महिला सदस्य की वृद्धि करते हुए वर्तमान न्यास समिति को पुनर्गठित किया जाता है तथा न्यास समिति की बेहतर व्यवस्था एवं सुन्दरतर प्रबंधन के लिए एक विस्तृत योजना का निरूपण निम्न रूप से सुनिश्चित किया जाता है:-

1. सम्पत्ति का निहित होना- पटना जंक्शन के मुख्य द्वार के समीपस्थ श्री महावीर स्थान और इसके द्वारा संचालित सभी संस्थाओं एवं स्थापित सभी धर्मस्वों का स्वामित्व महावीर जी में निहित होगा तथा उन सबों के धारण (Possession) का अधिकार "श्री महावीर स्थान न्यास-समिति" हो होगा।
2. प्रबंधन एवं प्रशासन का निहित होना- श्री महावीर स्थान तथा इसकी सभी संस्थाओं एवं धर्मस्वों के प्रबन्ध, प्रशासन एवं संचालन का अधिकार "श्री महावीर स्थान न्यास-समिति" में निहित होगा। इसके अनन्तर "श्री महावीर स्थान" अभिव्यक्ति से इसके द्वारा संचालित सभी संस्थाओं एवं स्थापित धर्मस्वों का भी समावेश होगा।

3. निगमन— “श्री महावीर स्थान न्यास समिति” के नाम से श्री महावीर स्थान का एक निगमित निकाय होगा जिसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को अर्जित करने तथा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के निर्बन्धनों के अध्यक्षीन ऐसी सम्पत्ति को अन्तरित करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकारी एवं सामान्य मुहर होंगे और जिसे वाद चलाने की क्षमता होगी तथा जिस पर वाद चलाया जा सकेगा।

4. वर्तमान न्यास—समिति को पुनर्गठित करते हुए— “श्री महावीर स्थान न्यास—समिति” की संरचना निम्नलिखित ग्यारह सदस्यों द्वारा की जाती है:— (सम्प्रति, न्यास—समिति के जो सदस्य हैं, उनके नाम यहाँ दिये गये हैं।)

(क) (1)	न्यायमूर्ति श्री बी. एन. अग्रवाल (अ. प्रा.) माननीय पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	अध्यक्ष
(2)	श्री राम बालक महतो महाधिवक्ता, बिहार	सदस्य
(3)	न्यायमूर्ति श्री एस० एन० झा (अ०प्रा०)	सदस्य
(4)	श्री विजय शंकर दूबे पूर्व मुख्य सचिव, बिहार एवं झारखण्ड।	सदस्य
(5)	न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र प्रसाद (अ. प्रा.) सदस्य, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग	कोषाध्यक्ष
(6)	श्री काशी नाथ मिश्र पूर्व कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	सदस्य
(7)	श्रीमती महाश्वेता महारथी बौद्ध विदुषी	सदस्या
(8)	महन्थ श्री रामाश्रय दास उर्फ नागा बाबा, अयोध्या	सदस्य
(9)	श्री आर.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (अ.प्रा.)	सदस्य
(10)	श्री वासुदेव राम पूर्व विधि सचिव, बिहार (अ. प्रा.)	सदस्य
(11)	आचार्य किशोर कुणाल पूर्व कुलपति एवं आई.पी.एस. (अ. प्रा.)	सचिव

- (ख) श्री महावीर स्थान न्यास समिति (इनके अनन्तर सिर्फ 'न्यास समिति' से अभिहित) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् (इसके अनन्तर सिर्फ 'पर्षद् से अभिहित) के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन तब तक कार्यरत रहेगी जब तक कि "पर्षद्" द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास-अधिनियम 1950 (इसके अनन्तर "अधिनियम" से अभिहित) की किसी भी धारा के तहत अवक्रांत (Superseded) नहीं की जाती। परन्तु "न्यास-समिति" को अवक्रान्त करने के पूर्व "पर्षद्" न्यास समिति को उन आधारों से अवगत करायेगी जिन पर वह इसे अवक्रान्त करने का प्रस्ताव रखती है तथा उस प्रस्ताव के विरुद्ध कारण दिखलाने के लिए एक तर्क संगत अवधि निश्चित करेगी और इसके स्पष्टीकरणों एवं आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।
- (ग) "न्यास समिति" का कोई सदस्य या इससे हितबद्ध कोई व्यक्ति "पर्षद्" के आदेश के विरुद्ध "अधिनियम" के प्रावधानों के तहत जिला न्यायाधीश पटना के यहाँ उस आदेश में परिवर्तन, रूप भेद या उत्सादन (set aside) करने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है और ऐसे किसी आवेदन पर पटना के जिला न्यायाधीश के विनिश्चय के अधीन 'पर्षद्' को आदेश आवेदक तथा "न्यास समिति" से हितबद्ध व्यक्ति के लिए अन्तिम और बन्धनकारी होगी।
5. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति— यदि "न्यास-समिति" में किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र, अनर्हता, पदच्युति या किसी अन्य कारण से कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, तो पर्षद् उक्त रिक्ति की पूर्ति किसी योग्य निष्ठावान व्यक्ति के मनोनयन द्वारा करेगी।
6. सदस्यों की पदच्युति— "पर्षद्" न्यास समिति के पदेन सदस्य से भिन्न किसी भी सदस्य की निम्नलिखित आधारों में से किसी एक पर पदच्युत कर सकती है—
- (क) इस योजना के नियम (7) या "अधिनियम" के किसी प्रावधान के तहत उस सदस्य को अनर्हित (Disqualified) किया गया हो।
- (ख) वह सदस्य तीन से अधिक बैठकों में न्यास-समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनवरत अनुपस्थित रहा हो।
- (ग) न्यास समिति के प्रबंधन में भ्रष्टाचार या गबन का दोषी पाया गया हो।
- (घ) इस नियम के अधीन कोई भी सदस्य तब तक नहीं पदच्युत किया जायेगा जब तक उसे अपनी पदच्युति के विरुद्ध कारण बताने के लिए समुचित अवसर नहीं दिया गया हो।
7. सदस्यों की अनर्हताएं— न्यास समिति के किसी भी सदस्य को अनर्हित किया जा सकता है, यदि वह—

- (क) हिन्दू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मावलम्बी हो गया हो ।
- (ख) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया हो ।
- (ग) अमुक्त दिवालिया हो गया हो या ऐसा अभिनिर्णीत होने हेतु उसने आवेदन दिया हो ।
- (घ) “अधिनियम” के किसी प्रावधान के अधीन दंडित किया गया हो या किसी अन्य कानून के अधीन किसी गम्भीर अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो ।
- (ङ) किसी दण्ड न्यायालय में नैतिक अधमता या कुत्सित अपराध के ऐसे आरोप का अभियुक्त हो जिसके कारण “न्यास-समिति” की छवि, “पर्षद्” की दृष्टि में धूमिल होती हो ।
- (च) श्री महावीर स्थान में किसी प्रकार की आपूर्ति हेतु संविदा प्राप्त करने का स्वार्थ रखता हो अथवा उसके पास किसी प्रकार की देय राशि चिर लम्बित हो ।
- (छ) श्री महावीर स्थान से वेतन प्राप्त करता हो ।
- (ज) कभी उसने श्री महावीर स्थान के हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया हो ।
8. सदस्यों का पद-त्याग- पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य या सचिव “पर्षद्” को लिखित सूचना भेजकर पद-त्याग कर सकता है और वह पदत्याग पत्र की स्वीकृति के दिन से रिक्त माना जायेगा ।
9. न्यास-समिति की शक्तियाँ एवं कार्यकलाप- “अधिनियम” के उपबन्धों और उसके अधीन बने नियमों के अध्याधीन “न्यास-समिति”-
- (क) श्री महावीर स्थान का प्रबंध, प्रशासन एवं संचालन करेगी तथा इसके अतिरिक्त ‘पर्षद्’ द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का भी सम्पादन करेगी,
- (ख) श्री महावीर मन्दिर की समग्र सम्पत्ति, निधि एवं भेंट में प्राप्त राशि की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी तथा शास्त्रीय मर्यादा एवं युगधर्म के अनुरूप मन्दिर में दैनिक पूजन अर्चन एवं सामयिक उत्सवों का आयोजन करेगी ।
- (ग) मन्दिर में विशिष्ट पूजन-अर्चन, कथा-पाठ, अखण्ड ज्योति, साधु सेवा, दरिद्र नारायण भोज या इस प्रकार की किसी भी सेवा अथवा अनुष्ठान या संकल्प के लिए शुल्क निर्धारण करने हेतु सक्षम होगी, किन्तु विग्रह के दर्शनार्थ भक्तों से कभी भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगी कि श्री महावीर स्थान का संधारण एवं विकास सम्यक् रूप से हो रहा है तथा इसके द्वारा संचालित संस्थाएँ एवं स्थापित धर्मस्व समुचित रूप

से कार्यरत है तथा मन्दिर में अर्पित निधियों का उपयोग यथावांछित कार्यों में ही किया जा रहा है।

- (ड) श्री महावीर स्थान की समग्र-सम्पत्ति तथा आय-व्यय का सही हिसाब रखेगी तथा समग्र लेखा का वार्षिक अंकेक्षण करेगी।
 - (च) श्री महावीर स्थान का बजट तैयार करेगी तथा "अधिनियम" की धारा 60 (साठ) के अनुरूप पर्षद् के पास स्वीकृति हेतु भेजेगी।
 - (छ) श्री महावीर स्थान के विरुद्ध लाये गये सभी वादों से इसके हितों की न्यायिक रक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार व्यवहार वाद एवं प्रतिवाद भी चलायेगी।
10. नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई- "न्यास-समिति" को निर्धारित नियमानुसार श्री महावीर स्थान के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त, निलम्बित, निष्कासित या पदच्युत करने या किसी अन्य प्रकार से दंडित करने का अधिकार होगा।
- (2) मन्दिर के मुख्य अर्चक-परमाचार्य की नियुक्ति करते समय- "न्यास समिति" यह सुनिश्चित करेगी कि-
 - (क) वे अच्छे नैतिक चरित्र के हों।
 - (ख) उनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं रहा हो।
 - (ग) वे सामान्यतः आचार्य या प्रतिष्ठित सन्त हों।
11. सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य- सचिव "न्यास समिति" का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा समिति द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायी होगा।
- (क) वह सभी नेमी कार्यों को सम्पन्न करने का उत्तरदायी होगा।
 - (ख) वह अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में ऐसे कार्यों को निष्पादन करने का निर्देश देगा जो, उसके विचार में श्री महावीर स्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा या विकास के लिए आवश्यक हों, ऐसे प्रत्येक मामले में वह "न्यास-समिति" को की गयी कार्रवाई तथा उसके कारणों की जानकारी देगा।
 - (ग) वह न्यास समिति की ओर से सभी संलेखों एवं दस्तावेजों को निष्पादित एवं हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत होगा।
 - (घ) वह ऐसे अन्य कार्यों का भी सम्पादन करेगा जो "न्यास-समिति" द्वारा विहित या प्रत्यायुक्त किये जायेंगे।
 - (च) वह इस योजना के अधीन प्रदत्त शक्तियों या निर्धारित कर्तव्यों में से किसी को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए "न्यास-समिति" के किसी सदस्य या नियमानुसार

नियुक्त किसी पदाधिकारी को प्रत्यायुक्त कर सकेगा और इसी तरह किसी ऐसे प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगा ।

12. सदस्यों को पारिश्रमिक— सचिव सहित किसी सदस्य को विहित यात्रा एवं विराम भत्ते के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।
13. श्री महावीर स्थान की निधियाँ— श्री महावीर स्थान की अपनी निधियाँ होंगी जिनकी आय में भेंट पात्रों तथा विग्रह—गृहों में चढ़ावे, चन्दे, दान, उपहार, अर्पण एवं सभी प्रकार के शुल्कों से प्राप्त राशि तथा अन्य किसी भी स्रोत से उपलब्ध आय सम्मिलित होगी ।
 - (ख) प्राप्त समग्र राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सुरक्षित तिजोरी (कोषागार) में जमा की जायेगी अथवा “न्यास—समिति” द्वारा निर्धारित प्रतिभूतियों में लगायी जायेगी ।
 - (ग) “न्यास—समिति” द्वारा किये गये सभी भुगतान उक्त निधि से होंगे ।
14. उद्देश्य जिनके लिए निधि का उपयोग किया जायेगा—

“श्री महावीर स्थान न्यास का उद्देश्य सभी प्राणियों की सेवा करना है और इसका आदर्श मन्त्र है- “सर्वभूतहिते रतः”

यानी सभी प्राणियों के कल्याण में संलग्न होना इसका उद्देश्य है ।”

- (क) महावीर मन्दिर में सम्यक् पूजन—अर्चन, राज—भोग, अखण्ड—ज्योति, धार्मिक उत्सव, प्रवचन, इत्यादि ।
- (ख) मन्दिर का अनुरक्षण, सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।
- (ग) शिक्षण—संस्थाओं की स्थापना एवं विकास ।
- (घ) संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार—प्रसार ।
- (ङ) अर्चकों, धर्माचार्यों एवं धर्म प्रचारकों का प्रशिक्षण ।
- (च) पुस्तकालय की स्थापना, जिसमें प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त मूल पाण्डुलिपियाँ या उनकी छाया प्रतियाँ तथा माइक्रोफिल्में भी हों ।
- (छ) पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के मुद्रण, प्रकाशन एवं विक्रय का प्रबन्ध ।
- (ज) हिन्दू धर्म एवं सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों की प्रगति एवं प्रचार—प्रसार ।
- (झ) चिकित्सालय, औषधालय, आरोग्य संस्थान की स्थापना ।
- (ञ) विकलांग धाम, अनाथालय, कुष्ठाश्रम तथा इस प्रकार की अन्य परोपकारी संस्थाओं की स्थापना ।

- (ट) सन्त निवास एवं धर्मशाला का निर्माण ।
- (ठ) दरिद्रनारायण भोज, साधु-सेवा एवं दीन-दुखियों की सेवा शुश्रूषा ।
- (ड) विद्वान एवं सन्तों को सम्मान तथा मेघावी किन्तु दीन छात्रों को छात्रवृत्ति ।
- (ढ) गोशाला, गव्य विकास एवं पशु-पक्षियों के लिए चिकित्सालय ।
- (ण) पर्याप्त जलापूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था ।
- (त) मन्दिर एवं अन्य संस्थाओं के निर्माण एवं विकास हेतु भूमि-अर्जन, भवन निर्माण एवं अन्य आवश्यक व्यय ।
- (थ) मन्दिर में भगवान् के आभूषण, शृंगार, मूर्ति, चित्र ।
- (द) सामाजिक सद्भाव एवं सांस्कृतिक जागृति हेतु अभियान ।
- (ध) आदर्श विवाह, मादक द्रव्य-निरोध, अस्पृश्यता निवारण, जैसे प्रगतिशील कार्यों का प्रोत्साहन ।
- (न) "पर्षद्" के अनुमोदन से अन्य मन्दिरों के जीर्णोद्धार, मूर्ति-स्थापना, यज्ञ-मण्डपादि के निर्माण हेतु सहायता ।
- (प) बाढ़, दुर्भिक्ष और भूकम्प जैसे प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता ।
- (फ) "पर्षद्" के अनुमोदन से श्री महावीर स्थान से संबंधित या अनुषंगिक किसी अन्य कार्य सम्पादन ।
- (ब) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास समिति कोई भी ऐसा कार्य करेगी जो मन्दिर एवं महावीर जी से किसी प्रकार जुड़ी हुई हो और देश में व्याप्त कानून के प्रतिकूल नहीं हो ।
15. "पर्षद्" को देय शुल्क"— "न्यास समिति" अधिनियम की धारा 70 के अनुसार "पर्षद्" को प्रति वर्ष पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की शुद्ध आय के पाँच प्रतिशत तक की राशि शुल्क के रूप में भुगतान करेगी ।
16. सम्पत्ति का अन्य संक्रामण (Alienation)— अनश्वर प्रकृति की कोई भी मूल्यवान चल सम्पदा, जिसका प्रबंध एवं धारण न्यास समिति में निहित हो, न्यास समिति की स्वीकृति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी और यदि ऐसा सम्पदा का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो तो 'पर्षद्' का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा ।
- (क) भूमि सहित किसी भी अचल सम्पत्ति को, जिसका प्रबंध एवं धारण "न्यास समिति" में निहित है; "पर्षद्" की पूर्व स्वीकृति के बिना पट्टे पर नहीं दिया

जायेगा या उसे बन्धक में नहीं रखा जायेगा या उसे बेचा नहीं जायेगा या किसी भी प्रकार से अन्य संक्रामित नहीं किया जायेगा।

17. उधार ग्रहण शक्ति का परिसीमन— “न्यास-समिति” “पर्षद्” की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए कोई धन उधार नहीं लेगी।

न्यास-समिति “पर्षद्” की स्वीकृति के पश्चात् किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी वित्त निगम से किसी विशिष्ट परियोजना अथवा उसके विस्तार के लिए तद्विषयक संकल्प पारित करके निश्चितकालीन ऋण लेने को सक्षम होगी।

18. “न्यास समिति” की सामान्य बैठकें— “न्यास समिति” का कार्यालय पटने में होगा और कार्य सम्पादन के लिए हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी बैठक बुलायी जायेगी।

(क) “न्यास समिति” की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा बुलायी जायेगी तथा सामान्यतः सदस्यों को कम से कम दस दिन पूर्व सूचना दी जायेगी।

19. विशेष बैठकें— “न्यास समिति” के पाँच या अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त अधियाचना-पत्र प्राप्त होने पर, जिसमें बुलायी जाने वाली बैठक की कार्यावली का उल्लेख हो, अध्यक्ष विशेष बैठक आहूत करेगा। यदि अध्यक्ष ऐसे किसी अधियाचना पत्र की प्राप्ति के बाद तीन सप्ताह के अन्दर ऐसी बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो वह विशेष बैठक उन सदस्यों द्वारा बुलायी जा सकेगी जिन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किये।

20. बैठक के लिये गणपूर्ति— बैठक के लिये पाँच सदस्यों की गणपूर्ति होगी और यदि बैठक के नियत समय पर या उसके आधे घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती, तो वह बैठक स्थगित हो जायेगी। अध्यक्ष स्थगित बैठक के लिये तिथि नियत करेगा और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

21. अध्यक्षता— “न्यास समिति” का अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक का निर्वाचन अध्यक्षता हेतु करेंगे।

22. बहुमत से विनिश्चय— इस योजना में अन्यथा उपबन्धित अवस्था के सिवाय “न्यास समिति” के सम्मुख आने वाले प्रत्येक विषय का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा।

(2) बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।

23. कार्यवाही का वृत्त— “न्यास समिति” की सभी बैठकों की कार्यवाहियों के वृत्त उस प्रयोजनार्थ रखी पुस्तिका में दर्ज किये जायेंगे और अध्यक्ष द्वारा सम्पुष्ट किये जायेंगे।

24. वृत्त की प्रति का अग्रसारण— प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के वृत्त की एक प्रति सचिव द्वारा 'पर्षद्' को अग्रसारित की जायेगी।
25. लेखा एवं अंकेक्षण—
- (क) न्यास समिति अपने सदस्यों में से एक का चयन कोषाध्यक्ष के रूप में करेगी। न्यास के आय—व्यय के संधारण का पर्यवेक्षण कोषाध्यक्ष करेगा।
- (ख) "न्यास समिति" एक लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी जो समस्त आय—व्यय का सही हिसाब रखेगा तथा सभी खातों एवं बहियों में अपेक्षित प्रविष्टियाँ करेगा।
- (ग) न्यास समिति की लेखा का अंकेक्षण प्रति वर्ष सक्षम अंकेक्षण द्वारा कराया जायेगा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन "पर्षद्" को भेजा जायेगा।
26. प्रशासन प्रतिवेदन— "न्यास समिति" श्री महावीर स्थान तथा इसकी सभी संस्थाओं के कार्य कलापों पर प्रति वर्ष एक प्रशासन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह के अन्दर "पर्षद्" को भेजेगी।
27. उपधाराएँ और व्यावृत्तियाँ—
- (क) "न्यास समिति" में कोई रिक्ति विद्यमान रहने के कारण "न्यास समिति" का कोई कार्य अवैध नहीं समझा जायेगा।
- (ख) "न्यास समिति" की बैठक बुलाने की सूचना तामील होने में किसी आकस्मिक त्रुटि के कारण ऐसी बैठक की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा न्यास समिति में लिया गया निर्णय केवल इस प्रकार की अनियमितता के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा।

यह योजना दिनांक— 01.04.1990 से प्रभावी होगी।

ह०/—

(उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी)

विशेष पदाधिकारी

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Misc. Appeal No. 428 of 1956

1. Sri Mahanth Bhagwan Das.
2. Sri Badri Das-Head Pujari.
3. Sri Kapildeo Das- Asstt. Pujari.
4. Sri Sidheshwar Saran Lal
5. Sri Banarsi Singh Petitioners.

Versus.

1. Sri Satrugan Pd. Sahi, I.A.S. (Retd.) Special Officer, In-charge of the State Board of Religious Trusts, Kadamkuan, Patna-3.
2. Sri Ras Behari Pandey, Superintendent of Bihar State Board of Religious Trusts (since retired and now Superintendent has yet been appointed).
3. Sri Chandreshwar Pd. Sinha, Asstt. Superintendent, Bihar State Board of Religious Trusts, Patna 3. Opposite-party.

To,

The Hon'ble Sri V. Ramaswami, I.C.S., Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of both the parties (the applicants and the opposite-party)

Most Respectfully Sheweth:

- 1) That irrespective of the merits or demerits of the case of the respective party as put forward in the Court, the well wishers of both the parties have intervened and have advised them to settle the matter amicably with a view to stop further litigation and hence this joint compromise petition is filed by the parties in the Hon'ble Court, embodying the following terms :
 - (a) That The reconstituted Managing Committee for the public temple, called 'Mahabir Mandir' will consist of the following:-
 - (1) Superintendent of Bihar Hindu Religious Trust Board as representative of the Board.

- (2) Mahanth Harnandan Das of Naudiha Fatwah Math, Distt. Patna.
 - (3) Sri Chandra Kant Pandey, Professor of Sanskrit, Patna College.
 - (4) Sri Raja Ram Chandra Prasad, Advocate.
 - (5) Sri Sidheshwar Saran Lal, Pleader.
 - (6) Sri Raghunath Pd. Retd. Registrar of Political and appointment Department.
 - (7) Sri Lal Behari Lal Advocate.
 - (8) Sri Reoti Raman, Retd. Secretary, Legislative Department
 - (9) Sri S.D. Ojha, Sub-editor of the Searchlight.
- (b) That the said Committee will elect a President and a Secretary from among the members.
 - (c) That the said Committee will prepare a sound scheme of management for the said Temple and its properties and send the scheme to the Board for approval.
 - (d) That the said Committee will send a copy of the minutes of the proceeding of each meeting of the Committee to the Board.
 - (e) That if and when any vacancy, except that of Board's Superintendent, either due to death or resignation of any number, takes place, the remaining members of the Committee will select another gentleman to fill up the vacancy with the approval of the Board.
 - (f) That the previous managing Committee has already furnished statements of income and expenditure for 1951-52 on which a sum of Rs. 91/15/- was assessed as Board's fee which must be paid by this Committee within one month from the date of this compromise and that the reconstituted committee will furnish statements of income and expenditure for the year 1952-53 to 1957-58 within a month from the date of the compromise and pay the assessed fee to the Board within three months from the date of assessment and that this Committee will continue to furnish statements etc when due according to law in future.
 - (g) That the Board will not interfere with the management of the Temple and its properties by the Committee, so long as the Committee discharges its duty beneficially to the Temple and its properties and so

long the Committee does not contravene any provision of the Bihar Hindu Religious Trusts Act I of 1950.

(h) That the parties will bear their own costs.

It is therefore, prayed that this application may be disposed of in terms of this compromise petition and your Lordships may be pleased to vacate the injunction issued against the Bihar State Board of Hindu Religious Trusts and the terms of this compromise petition may be embodied in the order of the Court.

And for this act of kindness the petitioner shall every pray.

AFFIDAVIT

I, Ramchandra Pd. Sinha, S/o B. Kedar Nath Sinha deceased by caste Bhumihar Brahmin resident of Village- Sarha-----, P.S.- Katra, Distt.- Muzaffarpur, at present residing in Kadamkuan, P.S.- Kadamkuan, Dist.- Patna do most solemnly state and affirm as follows :-

1. That I am in service of the opposites party and an incharge of the pairvi of this case and as such am fully acquainted with the facts of this case.
2. That I know and understand english.
3. That I have gone through the contents of this compromise petition and they are true to my knowledge.

Sd/-

Ramchandra Pd. Sinha

AFFIDAVIT

I, Badri Das, Chela of Sri Mhanth Bhagwan Das, of Sri Mahabirji Temple Mahabir Asthan near Patna Junction Railway Station, P.S.- Kotwali, District- Patna, do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1. That I am the Head Pujari of Sri Mahabir Asthan, and am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi and I have understood the same and they are true to my knowledge.

Sd/-

Badri Das

**In the High Court of Judicature at Patna
(Appellate Civil Jurisdiction)**

Appeal from Original Order No. 428 of 1956
Appeal preferred on the 19th day of December 1956, against
the order of Mr. Radha Prasad Singh
District Judge of Patna, dated the 17th day of
December 1956, in the case No. 324 of 1956

1. Sri Mahanth Bhagwan Das, 2. Sri Badri Das Pujari, 3. Sri Kapildeo Das Assistant Pujari, all residents of Sri Mahabir Asthan Patna Junction, Railway Station, Police Station Kotwali, District Patna, 4. Sri Sidheshwar Saran Lal, Pleader, Secretary, Supervisory Committee of the Mahabir Asthan, Frazer Road, Patna, 5. Sri Banrsi Singh, son of Ajudhya Singh deceased a Hindu deeply interested in the religious trust viz Sri Mahabir Asthan, resident of Mohalla Chiraniyatar, Patna
- Appellant

Petitioners

Versus

1. Sri Satrugan Pd. Sahi, Special Officer, Incharge after the super session of the State Board of Religious Trusts, 2. Sri Rash Behari Pandey, Superintendent, 3. Sri C. P. Singh, who describes himself as Assistant Superintendent of the above mentioned Board all resident of Shyam Newas, Kadam Kuan, Patna-3, Police station Kadam Kuan, Patna
- Respondents

Opposite-party.

APPEAL valued for purposes of JURISDICTION at Rs. 5460/-

Ditto for purposes of COURT-FEE at Rs.

This Appeal coming on for hearing before

The Hon'ble Mr. Justice Kanhaiya Singh

And

The Hon'ble Mr. Justice

One

Of the Judges of this Court

On the 21st day of January 1958, And a joint petition of Compromise having been filed by appellants and the respondents 1 to 3 through Mr. Janeshwar Singh appearing on behalf of the Appellants

And

Mr. Tirbeni Pd. Sinha

appearing on behalf of the Respondents 1 to 3

It is ordered as agreed to between the appellants and the respondents 1 to 3 that this appeal be and the same is hereby disposed of in the terms of the petition of Compromise annexed here to as a part hereof.

Dated this 21st day of January one thousand nine hundred and fifty eight.

Memo of cost

By order of the Court

Sd/

Deputy Registrar

14.06.58

In the High Court of Judicature at Patna.

Order sheet.

M. Appeal No 428 of 1956.

Shri Mahanth Bhagwan Das and ors: Appellants.

versus.

Sri Shatrughana Prasad Sahi & ors. Respondents.

Serial no. of order.	Date of order	Order with signature	Office notes as to action (if any) taken on order.
	xx	xx	xx

14. 21.1.58. This dispute relates to a religious temple called Mahabir Asthan near the Patna Jn. railway station. Five persons preferred an application under section 29(3) of the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 (Act I of 1951) for setting aside the order of the religious Trust Board appointing a Committee to look after the management of the temple. This application was dismissed by the District Judge of Patna on 17-12-56 substantially on the ground that the petitioners were not competent to make the application. They have taken an appeal to this Court against the order of the learned District Judge. During the pendency of this appeal a compromise was effected between the appellants and the Board, by which a Committee composed of nine persons was constituted for the management of the Mahbir Asthan. Thereafter, two persons Sri Ramesh Prasad and Dr. Ramgovind Singh filed an application for being added as parties to this appeal, and they also objected to the recording of the compromise on certain grounds. The question is whether they should be added as parties and whether the compromise as effected between the appellants and the Board should be recorded.

The short facts relating to this dispute are as follows. A certain Committee was appointed by the general public for the management of this Asthan on 22-2-1938. That Committee was functioning, and there was no difficulty till 9-9-1956, when appellant 2, the assistant Pujari of the Mahabir Asthan, filed an application to the effect that nine persons including Dr. Ramgovind Singh were trying to interfere with the management by force. On 24-9-56 the police recommended initiation of a proceeding under section 107 against these persons. During the pendency of this dispute it appears that the Religious Trust Board formed a Committee for the management of the Mahabir Asthan on 1-11-56. This committee was formed in pursuance of the powers vested under section 29(4) of the Bihar Hindu religious Trust

Act (hereinafter referred to as the Act). On 10-11-56 the present application was filed before the District Judge for setting aside the order of the Board appointing the Committee under section 29(4). On that very day, it appears that the learned District Judge issued an injunction restraining the board from interfering with the management of the Mahabir Asthan by the old Committee.

It appears that on 11-11-56 the new Committee constituted by the Board held a meeting and elected Dr: Ramgovind Singh as Secretary of that Committee and there upon the Sub-divisional 'Officer dropped the proceeding under section 107 on 12.11.56. The present application was dismissed by the learned District Judge, as said above, on 17.12.56. An appeal to this court was preferred on 19.12.56. It was admitted on 21.12.56, and on 4.1.57 this Court issued an ad interim injunction restraining the Board from interfering with the existing management by the new Committee and that order was made absolute on 29.1.57. The President of the newly formed Committee was Rai Bahadur Banshidhar Pandey. He resigned from the President-ship of the Committee. Dr. Ramgovind Singh sent a letter of resignation to the Board on 23-05-1957. There is some dispute whether this resignation of Dr. Ramgovind Singh was accepted by the Board or not. During the pendency of this appeal on 20.12.57. a compromise was filed in this Court modifying the constitution of the previous Committee and reconstituting a Committee composed of nine persons. Now, the Board has prescribed certain restrictions on the management of the Mahabir Asthan by this Committee, and the members of the Committee are accountable to the Board.

This compromise petition is opposed now only by Dr. Ramgovind Singh. So far as Sri Ramesh Prasad is concerned, it is stated by the learned counsel representing him that he does not propose to contest this compromise petition. The ground on which this compromise is resisted are that the committee that was formed was a Committee constituted under section 33 of the Act, and that the Board had no power to constitute a Committee under section 29(4) of the Act. without communication to the committee the grounds on which they propose to supersede that Committee as provided in the proviso to sub-section (2) of section 29 of the Act. The second objection was that in any event Dr. Ramgovind Singh has an interest in the management of this Committee, and he also as Secretary of the Committee formed by the Board had a right to object to the recording of this compromise and to be heard in the matter of this application and, therefore, he should be added as a party.

It does not appear from the record that the formation of this committee was under the provisions of section 33 of the Act. It is true

that in one of their objections the Board contended that they had constituted this Committee pursuant to the powers vested in it under section 33 of the Act, but this position was not accepted by the appellants. In fact this application was made by the appellants under section 29(3) of the Act, I do not find anywhere in the order of the learned District Judge that any contention was raised about the non-maintainability of the application on the ground of the formation of the committee under section 33 of the Act. There is further no evidence to show how this Committee was formed under the provisions of section 33 of the Act. This section envisages a case where there is a Trustee appointed from before to look after the management of the Religious Trust and there is a vacancy in the office of trustee. No such case actually arises here. On the other hand, the evidence shows that there was a Committee which was managing the affairs of the Mahabir Asthan, and this Committee was appointed by the general public as far back as 1938. The learned District Judge was of the opinion that this Committee was not constituted properly, as the constitution of the Committee was made neither by the founder, nor by a competent court, nor by any authority. It was clearly stated that this Committee was appointed at a meeting of the general public, and that was really an authority competent to appoint the Committee, as contemplated by sub-section (1) of section 29 of the Act, and I see no difficulty in holding that the Committee that was formed in 1938 was a Committee formed by a competent authority. In this case, there is no Committee or association appointed by the founder nor is there any committee or association appointed by a court. It is obvious that the Committee that was functioning since 1938 must be a Committee appointed by a competent authority, as laid down by section 29(1) of the Act, having been appointed by the general public to look after the management of the affairs of the temple.

In fact there was a Committee functioning since after 1938 and the Board constituted another Committee obviously pursuant to the powers vested under sub-section (2) of section 29 of the Act. Under this sub-section the Board has power to supersede any committee or association referred to in sub-section (1) of section 29 which, in the opinion of the Board, was not discharging its functions satisfactorily. The only condition to the supersession is provided by the proviso to sub-section (2) of this section which lays down that before making any order under this sub-section the Board shall communicate to the committee or association concerned the grounds on which they propose to supersede it. This was exactly the ground on

which the present application was made, and the grievance was that the Committee which the Board had appointed was not legally constituted and that they had not been served with a notice as provided in sub-section (2) of section 29.

If that be the position, and I have no doubt about it, I think, the Board has competency to constitute a committee under sub-section (4) of section 29 of the Act. The Committee that the Board had constituted was no doubt a committee under sub-section (4) of section 29. Now, in this appeal a compromise has been effected and another Committee has been appointed which includes also some of the members of the Committee previously appointed by the Board, and the only question is whether the appellants and the Board are competent to appoint another committee by compromise. The power of the Board to make alterations in the constitution of the Committee from time to time cannot be doubted for a moment, and if the Board considered the constitution of a fresh Committee necessary for the effective management of the affairs of the Mahavir Asthan and the appellants have no objection to the constitution of the Committee, I see no reason why this arrangement should not be given effect to, nor do I find that this constitution is opposed in any manner to the provisions of sub-section (4) of section 29 of the Act. I, therefore, find no serious objection to the compromise being recorded.

The only question is whether Dr. Ramgovind Singh should be added as a party and heard before this compromise is given effect to. It will appear that he submitted his resignation to the Board. His contention is that this resignation has not been accepted by the Board as yet. Mr. T.P. Singh appearing for the Board informs the Court that his resignation has been accepted, but the acceptance of the resignation has not been communicated to Dr. Ramgovind Singh. Any way, the acceptance of the resignation does not affect his position, since I consider that as a person interested in the management of the Board he can come and challenge the constitution of the committee. But, so far as the Committee is concerned, as held above, I think, the constitution was legal and within the competence of the Board and the applicants, and I do not think that any useful purpose will be served by reopening this question when the compromise is lawfully entered into.

So far as the personnel of the Committee is concerned, they are respectable persons and highly placed in life, and the learned counsel for the other side candidly conceded that there was absolutely no objection to the personnel of the committee. When the committee

has been properly constituted and is legal, I do not see any reason why this compromise should not be recorded, nor do I find any reasonable ground at this stage for the addition of Dr. Ramgovind Singh as an appellant or as opposite party to this application.

The application on behalf of Dr. Ramgovind Singh is, therefore, rejected. Let the compromise be recorded and the application be disposed of in terms of the compromise. The compromise will form part of the decree.

It may be stated that Sri Rash Bihari Pandey, Superintendent, who was respondent no. 2 has not joined this compromise, because he has already retired, and, therefore, he is not a necessary party.

Sd/- K. Singh

ORDER OF HON'BLE PATNA HIGH COURT

DATED 16.11.1999

In the high court of judicature at Patna

C.W.J.C.No. 2418 of 1999

Dr. D.N.P. Yadav & Ors. Vs. The State of Bihar & Ors

16.11.1999 Heard counsel for the parties and happily this public interest petition can be brought to an end today. The real problem is that the District Magistrate, who is the President of the Neyas Samiti nominated by the Bihar State Hindu Religious Trust Board, has to execute the scheme. The meeting of the Neyas Samiti must be held regularly as contemplated by the scheme formulated for the purpose. It appears from the material placed before us that the District Magistrate is preoccupied with other responsibilities and, therefore, the meetings of the Neyas Samiti have not taken place regularly, which must be avoided in public interest.

2. Counsel for the Bihar State Hindu Religious Trust Board submitted that in these circumstances it is open to the petitioners to propose the name of any other person who may be nominated as President of the Neyas Samiti.

Counsel for the petitioners submitted that Justice P.S. Sahay (Retired) is a member of the Samiti and they will have no objection if he is nominated as President of the Neyas Samiti. Counsel for the Bihar State Religious Trust Board has no objection.

The stand of the State Government is that it has no direct involvement in the matter and it is a matter between the petitioners and the Bihar State Hindu Religious Trust Board.

3. It is, therefore, directed that Bihar State Hindu Religious Trust Board shall issue an appropriate order nominating Justice P.S. Sahay (Retired) as President of the Neyas Samiti.
4. Mr. Kishore Kunal, Secretary of the Neyas Samiti, appears in person and submits that the schemes proposed by the Neyas Samiti are sent to the Bihar State Hindu Religious Trust Board for its approval. However, approval is not granted within time and the projects are, therefore, delayed. He submitted that like a budget which is deemed to have been approved if not disapproved within the prescribed period, a direction may be made to the effect that the projects sent to the Bihar State Hindu Religious Trust Board for approval, if not disapproved within a certain period, shall be deemed to have been approved.

Counsel for the Bihar State Hindu Religious Trust Board submits that if the projects are submitted in time, the Board will have no difficulty in granting approval. However, he concedes that unnecessary delay in the approval of such project may lead to consequent delay in the execution of the projects.

5. We, therefore, direct that the Nayas Samiti should submit its projects to the Board keeping in view the nature of the project and supply necessary particulars in relation thereto. After such project is received by the Board, it shall pass its orders thereon either granting approval or not granting approval within a period of three months. If the project is not disapproved within a period of three months, it shall be deemed to have been approved and the Nayas Samiti shall proceed as if it has been approved.
6. The writ petition is disposed of in the above terms.

Sd/- B.P. Singh

Sd/- I.P. Singh



महावीर आरोग्य संस्थान
चिड़ैयाटाँड़ पुल के नजदीक
कंकड़बाग, पटना।



महावीर नेत्रालय
चिड़ैयाटाँड़ पुल के नजदीक
कंकड़बाग, पटना।



महावीर कैंसर संस्थान

फुलवारीशरीफ, पटना